## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान [भर्ती प्रकोष्ठ] ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-10/2019-स्था. (भर्ती) No.F.2-10/2019-Estt.(RCT) अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक/Dated:

1 2 SEF 2023

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में बढ़ई के पद पर पदोन्नति । Subject:- Promotion to the post of <u>CARPENTER</u> at the AlIMS, New Delhi.

दिनांक 25.08.2023 को **बढ़ई** के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित <u>मल्टी टास्किंग स्टाफ (सिविल) (पूर्व बेलदार)</u> को पे मेटरिक्स के <u>लेवल-2 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-1 रु.5200-20200+रु.1900/- ग्रेड पे)</u> में **बढ़ई** के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 25.08.2023 and its acceptance by the Competent Authority, the following Muti tasking Staff (Civil) earstwhile Beldar are promoted to the post of CARPENTER in the Level-2 of the Pay Matrix (pre-revised PB-1 Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900/-) from the date they assume the charge of the post of CARPENTER.

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	जन्मतिथि Date of Birht	Category	Considered against the category	विभाग / अनुभाग Department / Section
1.	Sh. Inderpal	05/11/1970	SC.	UR	ESD
2.	Sh. Shiv Kumar	01/10/1964	OBC	UR	ESD
3.	Sh. Nand Kumar Sharma	26/06/1972	OBC	UR	ESD
4.	Sh. Devender Kumar	23/02/1975	OBC	UR -	ESD
5.	Sh. Jawahar Singh	01/02/1970	OBC	UR	ESD
6.	Sh. Vijay Prakash Tiwari	12/06/1976	Gen	UR	ESD
7.	Sh. Brij Mohan	17/09/1977	SC	UR	ESD

उनकी वरिष्ठता बढ़ई के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की वैठक की तिथि अर्थात 25.08.2023 से प्रभावी होगी।
Their seniority in the post of <u>CARPENTER</u> will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 25.08.2023.

वे बढ़ई का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद /एन.सी.आई झज्जर हिरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charges to the post of CARPENTER.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने कि तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्तें उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial upgradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाए वर्तमान मे बल्लभगढ़ (हरियाणा) मे स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य मे खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र मे स्थानांतरीय है। उन्हे शिफ्ट मे सेवा देने

Their services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित हैं जिसमें असफल रहते पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation, they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी। Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

> [कमल चंद्र भट्ट / KAMAL CHAN प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

सभी संवन्धित व्यक्ति/All Persons concerned

द्वारा: अधीक्षक अभियंता Through:- Superintending Engineer

## प्रतिलिपि/Copy to:-

1) अधीक्षक अभियंता / Superintending Engineer

2) स्थापना अनुभाग- नि. का/Establishment Section - D.O.

3) लेखा अनुभाग-॥ एवं ॥ /Accounts Section ॥ & ॥

 4) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/सतर्कता प्रकोष्ठ General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ / इ एच एस प्रकोष्ठ / संरक्षण मिसिल / ACR's Cell /SC/ST Cell /EHS CELL/ Guard File

6) प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृप्या इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website